[2022] 3 एस.सी.आर. 698

जे. सेकर @सेकर रेड्डी

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 738)

05 मई, 2022

[विनीत सरन और जे. के. माहेश्वरी, न्यायाधिपतिगण]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002: धारा 3 और 4 – तथ्यों पर, अपीलकर्ता से बड़ी मात्रा में मुद्रा नोटों और सोने की जब्ती – अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधान के अतिरिक्त दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के तहत एफ.आई.आर. का पंजीकरण – कार्यवाही को रद्द करने की याचिका – उच्च न्यायालय द्वारा खारिज – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायालय में आरोपों को साबित करने की संभावना बहुत कम है – सी.बी.आई. ने अनुसूचित अपराध के संबंध में दर्ज एफ. आई. आर. के में समापन रिपोर्ट दायर की – साक्ष्य की कमी के कारण अनुसूचित अपराध नहीं बनाया गया – पी.एम.एल.ए. के मामलों में, आरोपों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, न्यायालय संभावनाओं की अधिकता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है – संपत्ति की कुर्की के आदेश की न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की गई है कि उक्त आरोप अटकलों पर आधारित हैं न कि किसी विशिष्ट सामग्री पर – जब्त की गई मुद्रा के लिए, कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है – विभाग कोई भी आपत्तिजनक सामग्री एकत्र करने में असमर्थ है और इस मामला को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए 2 साल 51 दिन बीतने के बाद भी इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है –एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से, वे स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि पीएमएलए के तहत अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जा सकता है–उच्च न्यायालय ने आई.टी. विभाग और अन्य सामग्री सही परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार विभाग के पत्र पर उचित विचार किए बिना निष्कर्ष दर्ज किया। यथा, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है और आदेश रद्द किया जाता है – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 482.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 आई.टी. विभाग ने अपीलकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आधिकारिक/वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी ली। बाद में, आई.टी. विभाग ने दिनांकित 16.5.2019 संचार के माध्यम से जो अपीलकर्ता के पत्र के जवाब में जारी किया गया था, दिनांकित 13.5.2019, संतुष्ट था कि नकद जो था अपीलकर्ता के अधिकारियों/वाणिज्यिक परिसरों से वसूल की गई राशि को समझाया जाता है और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्व–मूल्यांकन में कर का भुगतान किया गया। इसलिए, नकदी और अन्य वस्तुओं की साज़िश बरामदगी के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही वास्तव में मौजूद नहीं है और आई.टी. विभाग स्वयं वर्ष 2019 में जांच के बाद बरामदगी से संतुष्ट था। इसलिए, 2000 रुपये के मूल्य के नए नोटों की

बरामदगी के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में जो निष्कर्ष दर्ज किया गया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा14] [705–एफ–जी; 708–सी–डी]

1.2 यह स्पष्ट है कि अपराध की आय के संबंध में सी.बी.आई. द्वारा दर्ज अनुसूचित अपराध के संबंध में एफ़.आई.आर. कुर्क की गई संपत्ति सहित बंद कर दिया गया है। आई.टी. विभाग द्वारा दी गई सूचना और सी.बी.आई. द्वारा एफ.आई.आर. का पंजीकरण के आधार पर जो बंद कर दिया गया था, ईडी निदेशालय ने पी. एम. एल. ए. की धारा 3,4 और 8 (5) के तहत ई.सी.आई.आर./सी.ई.जेड.ओ./19/2016 दर्ज किया। उक्त एफ.आई.आर. के बाद, उप निदेशक (ई.डी.) ने पी.एम.एल.ए. की धारा 5(1) के तहत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया। कुर्की की पुष्टि के लिए, विभाग द्वारा 2017 की ओ.सी. संख्या 785 दायर की गई थी जिसे पी.एम.एल.ए. की धारा 5(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। [पैरा 15,16] [709–जी; 710–ए–बी]

1.3 इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जब किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की संभावना कम प्रतीत होती है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है और आई. टी. विभाग की रिपोर्ट और आर.सी. एम.ए.1 2016 ए.0040 में अंतिम समापन रिपोर्ट और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत करते समय सी. बी. आई. द्वारा दिए गए तर्क का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 2(1)(प) के तहत परिभाषित अपराध की आय के लिए, जब्त की गई संपत्ति प्रासंगिक होगी और वसूली के साथ उसका कब्जा और दावा किया जाएगा वो निर्दोष होना चाहिए। तत्काल मामले में, सबूतों की कमी के कारण अनुसूची अपराध नहीं बनाया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलए के तहत कुर्की के आदेश को जारी रखने से इनकार करने के समय, इस राय में थी कि बैंकों और उसके अधिकारियों के बारे में अभिलेख जो शामिल हो सकते हैं, अभिलिखित नहीं है। इसलिए, एकत्र किए गए धन के स्रोत की पहचान की कमी के कारण, उप निदेशक (ईडी) द्वारा यह उचित रूप से विश्वास नहीं किया जा सका कि बेनामी धन पी.एम.एल.ए. के अधीन अपराध से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही, आई.टी. विभाग का पत्र दिनांकित 16.5.2019 और जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जब्त की गई मुद्रा के लिए कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए, यह अर्जित राशि नहीं है और इसका उपयोग धन शोधन के लिए किया जाता है। यहां तक कि पीएमएलए के मामलों में भी न्यायालय संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर ऐसा नहीं कर सकती है। पी.एम.एल.ए. में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन पर, यह संसद द्वारा धन की जांच के लिए लाया गया कठोर कानून है। अतः आरोप को न्यायालय में उचित संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, यह न्यायालय का दायित्व है कि वह आरोप और उसके समर्थन में एकत्र की गई सामग्री की जांच करे और यह पता लगाए क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनाया गया है। जब तक अधिकारियों द्वारा आरोपों की पुष्टि नहीं की जाती है और न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाता है, तब तक व्यक्ति निर्दोष है। [पैरा 18] [713–ई–एच; 714–ए–सी]

1.4 इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, अनुसूची अपराध की समापन रिपोर्ट की स्वीकृति के एक विस्तृत आदेश से यह स्पष्ट है कि आर.सी. एम.ए.1 2016 ए.0040 और उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध की दो एफ.आई.आर. रद्द करने के लिए आदेश और आई.टी. विभाग के पत्र दिनांकित 16.5.2019 में और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांकित 25.2.2019 में गई टिप्पणियों को, ई.सी.आर.सी.ई. जेड.ओ.

19/2016 में अपराध के जारी रहने का प्रमाण पर्याप्त नहीं है। विभाग स्वयं कोई भी दोषी ठहराने वाली सामग्री एकत्र करने में असमर्थ है और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए 2 साल 51 दिन के अंतराल के बाद भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से, वे स्वयं प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हैं कि पीएमएलए के तहत अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जा सकता है। इस प्रकार, तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय में पीएमएलए के प्रावधानों के उद्देश्य के लिए भी आरोपों को साबित करने का मौका धूमिल है। इसलिए, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि न्यायालय में उन आरोपों को साबित करने की संभावना बहुत कम है। यह कहना उचित है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, अपीलकर्ता निर्दोष होगा। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा आई.टी. विभाग के पत्र और अन्य सामग्री पर उचित विचार किए बिना निष्कर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में दर्ज किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 19,20] [714 सी–एच; 715–ए]

जे. सेकर @सेकर रेड्डी बनाम प्रवर्तन निदेशालय

राधेश्याम केजरीवाल पश्चिम बंगाल राज्य **(2011) 3 एससीसी 581: [2011] 4 एससीआर 889;** आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबीआई और अन्य **(2020) 9 एससीसी 636– पर भरोसा किया।**

मामला कानून संदर्भ

[2011] 4 एससीआर 889	**पर भरोसा किया**	**पैरा 17,18,19**
(2020) 9 एससीसी 636	**पर भरोसा किया**	**पैरा 17,19**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 738

उच्च न्यायालय मद्रास के 2017 का सी.आर.एल. ओ.पी. सं. 24200 में निर्णय और आदेश दिनांकित 04.02.2021 से।

विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषि सहगल, एस. इयामभारती, अब्दुल सलीम, सुश्री रिया खन्ना, सुश्री अंजू के वर्की, अपीलकर्ता के लिए।

एस. वी. राजू, ए.एस.जी., एम. के. मारोरिया, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, सुश्री सैरिका राजू, सुश्री दीपबली दत्ता, अंशुमन सिंह, अंकित भाटिया, अर्पित गोयल, हर्ष पॉल सिंह, अधिवक्तागण, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया था

निर्णय

1. अनुमति दे दी गई।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2017 का सी.आर.एल. ओ.पी. सं. 24200 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 04.02.2021 से उत्पन्न होती है जो 2017 के सी. सी. सं. 2 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') के तहत याचिका को खारिज करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता का तर्क है कि अनुसूचित अपराध के संबंध में एफ़. आई. आर. साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया था और अनुसूचित अपराध के अपराध के साथ जुड़े साक्ष्य के अभाव में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएलए") की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन कायम नहीं रखा जा सकता है। यह भी माना जाता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुसूची अपराध करना एक मौलिक पूर्व शर्त हो सकती है, लेकिन धन शोधन का अपराध अनुसूची अपराध से स्वतंत्र है क्योंकि पीएमएलए प्रक्रिया या गतिविधि अपराध की आय के संबंध में जिसमें छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है, के संबंध में चर्चा करती है, हालांकि धारा 44(1), पी. एम. एल. ए. के स्पष्टीकरण के आलोक में अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि जमानत याचिका में कोई टिप्पणी आई है, जो किसी भी अपराध के करने से जुड़ी कोई सामग्री नहीं है, तो कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। न्यायालय ने आई. टी. विभाग द्वारा की गई जब्ती पर भरोसा किया, जिसमें उसके 2000 रुपये का मूल्यवर्ग मुद्रा नोट भी शामिल थे, इस संदर्भ में कि 500 और 1000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट विमुद्रीकरण के समय सरकार के आदेश से वैध मुद्रा बनना बंद हो गया था और लोग उन पुराने मुद्रा नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए कतार में थे। चूँकि 33 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की जब्ती 2000 रुपये के नोटों के मूल्यवर्ग के रूप में की गई, इसलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (संक्षेप में 'सी. बी. आई.') द्वारा अनुसूचित अपराध में की गई समापन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

2. संक्षेप में, अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता जे. सेकर रेड्डी मेसर्स एसआरएस माइनिंग जो 2013 से रेत खनन में लगी एक साझेदारी फर्म है, के प्रबंध भागीदार हैं और उसने फर्म के तीन बैंक खातों में 312.64 करोड़ रुपये जमा किए थे। दिनांक 08.12.2016 और 09.12.2016 पर, आयकर विभाग, चेन्नई (संक्षेप में "आई. टी. विभाग") ने अपीलकर्ता और अन्य के आधिकारिक/वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी ली और 106,98,89,800/ रुपये की मुद्रा और 128.495 किलोग्राम सोना (जिसका मूल्य 36,72,07,311 रुपये है) जब्त की।

3. इसके बाद, 08.12.2016 से 12.12.2016 तक, अपीलकर्ता करेंसी नोटों और सोने की जब्ती के बारे में आईटी विभाग के समक्ष जांच शामिल हो गया। इसके बाद दिनांक 19.12.2016 पर सी. बी. आई. ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आई. पी. सी.) धारा की 120–बी सपठित धारा 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), सपठित 13(1)(ग) के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता और दो अन्य लोगों के खिलाफ आर. सी. 40(क)2016/सी. बी. आई./ए. सी. बी./चेन्नई दर्ज किया।

4. प्रवर्तन निदेशालय ने सी. बी. आई. के प्राथमिकी पर गौर करने के बाद महसूस किया कि अनुसूचित अपराधों के अलावा, पी. एम. एल. ए. की धारा 2(1)(भ) और 2(1)(म) के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ 2016 के ई. सी. आई. आर. संख्या 19 दिनांक 19.12.2016 में अपराध दर्ज किया गया।

प्रत्यर्थी ने पूछताछ की और जांच की और अपीलकर्ता और अन्य लोगों का बयान दर्ज किया और अपीलकर्ता के आधिकारिक और वाणिज्यिक परिसरों पर बाद की तलाशी में कुल 33,74,92,000/ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नए नोट पाए।

5. इस बीच, सी. बी. आई. ने हिरासत याचिका दायर की थी जिसे विशेष न्यायालय ने दिनांक 30.12.2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। सी. बी. आई. ने दो प्राथमिकियां भी दर्ज की थीं जिनमें अपराध सं. आर.सी. एम.ए.1 2016 ए.0051 1500 बजे और आर.सी. एम.ए.1 2016 ए.0052 1510 बजे 30.12.2016 पर दस मिनट के अंतर से। अपीलकर्ता ने प्रधान विशेष न्यायाधीश सी. बी. आई. मामलों के न्यायाधीश, चेन्नई के समक्ष आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. आई. टी. 40 और आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. आई. टी. 51 में जमानत याचिका दायर की। विशेष न्यायालय ने दिनांक 17.3.2017 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को कुछ शर्तें लगाते हुए जमानत दे दी।

6. इसके बाद, उप निदेशक (ईडी), चेन्नई में ईसीआईआर सीईजेडओ/19/2016 एक महीने की निर्दिष्ट अवधि के लिए पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत शक्ति के प्रयोग में अस्थायी कुर्की के लिए एक आदेश पारित किया। अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष 2017 की ओ. सी. संख्या 785 की शिकायत प्रस्तुत करने पर, यह कुर्की के आदेश की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और उसे खारिज कर दिया। आदेश में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि बैंक या बैंक अधिकारियों का विवरण अभिलेखमें नहीं है। किसी भी पहचान के अभाव में, कौन से बैंक अधिकारी थे जिन्होंने पुराने मुद्रा नोटों के मूल्य को नए में परिवर्तित किया और वह भी किस बैंक से, कोई जानकारी नहीं था। बैंक अधिकारियों के माध्यम से पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए उचित विश्वास बनाने के लिए उप निदेशक के पास कोई सामग्री नहीं थी और पाया गया कि उक्त आरोप अटकलों पर आधारित है, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

8. यह ध्यान रखना सबसे अधिक प्रासंगिक है कि मुख्य मामले आर. सी. एम. ए.1 2016 ए.0040 में जांच के बाद सी. बी. आई. ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सी. बी. आई. न्यायालय, चेन्नई के सम्मुख धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट को दिनांकित 25.9.2020 के आदेश के माध्यम से इस अवलोकन के साथ स्वीकार किया गया था कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है जो आरोपी व्यक्तियों की ओर से सामने आ सकता है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि सी. बी. आई. ने तीन मामले दर्ज किया जिनमें से मुख्य मामले आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0040 में, अंतिम समापन रिपोर्ट सी. बी. आई. द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था और शेष दो मामलों में संख्या आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0051 और आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0052, उच्च न्यायालय ने अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकियों को रद्द कर दिया।

9. जहां तक आई.टी. द्वारा की गई जांच का सवाल है। विभाग की ओर से सर्च के आधार पर संबंधित मामले को बंद कर दिया गया है। अपीलकर्ता ने आई.टी. से जानकारी मांगी। विभाग द्वारा संचार दिनांक 11.5.2019। उसी के संबंध में, आई.टी. विभाग ने पत्र दिनांक 16.5.2019 के माध्यम से अपीलकर्ता से की गई जब्ती का विवरण प्रदान किया। यह स्पष्ट है कि रुपये के मूल्यवर्ग के नए करेंसी नोट। 2000 मेसर्स एसआरएस माइनिंग का था जो उसकी कैश बुक में दर्ज है। जब्त किए गए नोट मेसर्स एसआरएस माइनिंग द्वारा रेत की बिक्री से प्राप्त आय

से हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्व–मूल्यांकन से पहले या बाद में भुगतान किए गए कर के विवरण ने प्राधिकरण को संतुष्ट किया कि जब्त किया गया पैसा हिसाब–किताब का पैसा था या कर का भुगतान किया गया था।

10. अपीलकर्ता ने उपरोक्त सभी तथ्यों का प्रतिवाद करते हुए, धारा 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें पीएमएलए मामले से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की और निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की:

i. माननीय प्रधान सत्र न्यायालय, चेन्नई की फाइल पर 2017 के सीसी नंबर 2 में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाना, उपरोक्त आपराधिक मूल याचिका का निपटान।
ii. माननीय प्रधान सत्र न्यायालय, चेन्नई की फाइल पर 2017 के सी. सी. सं. 2 में अभिलेख मंगाना और आदेश को रद्द करना और मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य आदेश, आदेशों पारित करें और इस प्रकार न्याय प्रदान करें।

11. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विक्रम चौधरी और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू को प्रतिवादी की ओर से सुना है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि पीएमएलए को लागू करने के लिए, अनुसूचित अपराध की पूर्व–मौजूदा घटना आवश्यक है क्योंकि अपराध की आय उक्त अपराध की आपराधिक गतिविधि से प्राप्त आवश्यक संपत्ति है। निर्णायक प्राधिकारी ने उप निदेशक (ईडी) के आदेश पर कार्रवाई की और साक्ष्य के अभाव में कुर्की का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अभिलेखपर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, धारा 2(1)(पी) और पीएमएलए की धारा 3 में निर्दिष्ट मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है। आगे यह आग्रह किया गया है कि पीएमएलए की धारा 8(1) के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है यदि उक्त प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 के तहत अपराध किया है या उसके कब्जे में है अपराध की आय. न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक–दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन उन कार्यवाही में अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए अपराध के लिए सामग्री एक प्रासंगिक कारक हो सकती है, विशेष रूप से जब सबूत की कमी के कारण, प्राधिकरण स्वयं संतुष्ट है कि कार्यवाही की कुर्की पीएमएलए मामले में इसे जारी नहीं रखा जा सकता. राधेश्याम केजरीवाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 3 एससीसी 581 और आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबीआई और अन्य (2020) 9 एससीसी 636।

13. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू का तर्क है कि धारा 5(5) पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अपील के अधीन है जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी का आदेश और उसमें दर्ज निष्कर्ष वर्तमान मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्वान एएसजी, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलों को गुण–दोष के आधार पर खारिज करने की स्थिति में नहीं हैं।

14. विद्वान वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है कि आई. टी. विभाग ने अपीलकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आधिकारिक/वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी ली। बाद में, आई. टी. विभाग ने दिनांक 16.5.2019 का संचार किया जो अपीलकर्ता के पत्र के जवाब में जारी किया गया था और आई. टी. विभाग दिनांक 1.5.2019 और दिनांक 13.5.2019 का भी समाधान हुआ कि अपीलकर्ता के अधिकारियों/वाणिज्यिक परिसरों से बरामद की गई नकदी का विवरण दिया गया है और कर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्व–मूल्यांकन में किया गया था। उक्त पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

"भारत सरकार

आय के संयुक्त निदेशक का कार्यालय–कर (आई. एन. वी.) (ओएसडी) यूनिट–2(1), कमरा संख्या 223, दूसरी मंजिल, आयकर जाँच शाखा, एम. जी. रोड नुंगमबक्कम, चेन्नई–600 034।

टेलीफैक्सः 044–28253651
Kg.arunraj@incometax.gov.in

यूनिट 2(1)/2019–20 16.05.2019

सेवा में,
प्रबंध भागीदार
मेसर्स एसआरएस माइनिंग
317 , कुलीन साम्राज्य
जी–12, वल्लुवरकोट्टम हाई रोड, नुंगमबक्कम
चेन्नई–34
साहब,
उपः मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग और अन्य के मामले में खोजें–जानकारी के माध्यम से अनुरोध करें–रेग
संदर्भः आपका का पत्र दिनांकित 01.05.2019 इस कार्यालय में 13.05.2019 को प्राप्त हुआ।
****

कृपया उपरोक्त का उल्लेख करें।

2. आपके द्वारा अनुरोधित विवरण नीचे दिए गए हैं।

(i) मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग और अन्य के मामले में तलाशी कार्रवाई शुरू करने की तारीख 08.12.2016 है। इस कार्यालय ने मामले को सी. बी. आई. को नहीं भेजा और सी. बी. आई. ने भारी मात्रा में 2000 रुपये के नए नोट जब्त किए गए इस खबर के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।

(ii) जब्त नकदी और सोना मेसर्स एसआरएस माइनिंग साझेदारी फर्म का है जिसके साझेदार श्री एस.रामचंद्रन, श्री के.रेथिनम और श्री जे.सेकर हैं

(iii) श्री जे. शेखर के आवास से रु. नकद. 12,00,000/– पुरानी मुद्राएँ जब्त की गईं

(iv) रुपये की नई मुद्राओं की जब्ती का विवरण। विभिन्न परिसरों में बनाए गए 2000 के नोट नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम और पता	नया मूल्य रु. 2000 जब्त (रुपये में)
1	मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग, सं.36, सुधम्मा बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 1, पहली मंजिल, पिछला ब्लॉक, विजयरागव रोड, टी. नगर, चेन्नई–600 017	8,00,00,000
2	मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग, 26/14, योगम्बाई स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई–600 017	1,63,06,000
3	मेसर्स एसआरएस माइनिंग, तीसरी मंजिल, वीबीसी सॉलिटेयर, नं. 47 & 49 , बाज़ुल्ला रोड, टी नगर, चेन्नई–600 017	13,16,000
4	जी.वेंकटेश,वेणु ज्वेलर्स, सं. 127, दुकान सं.18, एन. एस. सी. बोस रोड, आदिनाथ परिसर, सोवरपेट, चेन्नई–600 079	11,86,000
5	के. उमापति, रॉयल इंडिया जेम्स एंड ज्वेल्स पी. लिमिटेड, सं. 226, पुराना सं. 124, दुकान सं. 18,19,20 4 मंजिल, आदिनाथ कॉम्प्लेक्स, चेन्नई–600 079	1,00,000
6	मैसर्स एसआरएस माइनिंग, टाटा ऐस व्हीकल टीएन 3 बीसी 5757	24,00,00,000
7	कुल	33,89,08,000

नई मुद्राएं मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग की हैं और उन्हें मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग की समानांतर नकद पुस्तिका में दर्ज किया गया था।

(v) जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, जब्त की गई नई मुद्राओं का स्रोत मेसर्स एसआरएस माइनिंग द्वारा रेत की बिक्री से प्राप्त आय से है।

(vi) तलाशी कार्रवाई से पहले एस. आर. एस. माइनिंग द्वारा भुगतान किए गए पूर्व–भुगतान कर का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अग्रिम कर (रु.)	टीडीएस/टीसीएस (रु.)	भुगतान किया गया कुल अग्रिम कर (रु.)
1	2016–17	12,00,00,000	58,35,283	12,58,35,283
2	2017–18	18,00,00,000	42,98,471	18,42,98,471
			कुल	31,01,33,754

खोज के बाद, मेसर्स एस. आर. एस. माइनिंग ने रु. 22,00,00,000 / – वित्त वर्ष 2016–17 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए स्व–निर्धारण कर की दिशा में।

आपका विश्वासी

(के जी अरुणराज आईआरएस)

आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक (आई. एन. वी.) (ओएसडी)

इसलिए, पेचीदा आधार पर कार्यवाही शुरू की गई वास्तव में नकदी और अन्य वस्तुओं की वसूली मौजूद नहीं है और आई. टी.विभाग स्वयं वर्ष 2019 में जांच के बाद हुई वसूली से संतुष्ट था। इसलिए, नई मुद्रा की वसूली के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14 में विवादित आदेश में दर्ज किया गया निष्कर्ष 2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट माना नहीं जा सकता।

15. सी. बी. आई द्वारा मुख्य एफ. आई. आर. सं. आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0040 दर्ज करने के मुद्दे पर लौटना और उसके बाद दो अन्य मामले आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0051 और आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए. 0052 आई. टी. विभाग द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आरसी एमए 1 2016 ए 0051 और आरसी एमए 1 2016 ए.0052 वाले मामलों को उच्च न्यायालय ने 2017 के आपराधिक ओपी संख्या संख्या 409 में पारित आदेश दिनांक 27.6.2018 के तहत रद्द कर दिया है। इसके बाद मुख्य एफ. आई. आर. आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए.0040 में सी. बी. आई. ने अपनी समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समापन रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा 25.9.2020 पर धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय के आदेश में उल्लिखित समापन रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

पुलिस निरीक्षक, सीबीआई, एसीबी, चेन्नई ने वरिष्ठ लोक अभियोजक, सीबीआई के माध्यम से एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें आईपीसी धारा 120–बी 409, 420 और पीसी अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(ग),(घ) के अंतर्गत आरसी एमए 1 2016 ए 0040 में इस अदालत के समक्ष लंबित एफआईआर को बंद करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई। इस अदालत ने एफआईआर, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान, जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों सहित सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों का अवलोकन किया और अंतिम रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया गया कि यह अदालत इस समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने में प्रसन्न हो सकती है। सीआरपीसी की धारा–173(2) के तहत. और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त 1 से अभियुक्त 6 के विरुद्ध कार्रवाई रद्द कर सकता है। आरोपी व्यक्तियों की ओर से कुछ भी आपत्तिजनक सामने नहीं आया, क्योंकि इन आरोपियों 1 से 6 तक ने अज्ञात बैंक अधिकारियों और लोक सेवकों के साथ साजिश रचकर भारत सरकार को धोखा दिया था।

4. अभिलेखपर मौजूद सबूत उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उन्होंने धोखाधड़ी से पुराने मुद्रा नोटों में उनके पास मौजूद अनधिकृत नकदी को एनएचडी में बदल दिया, जिससे जनता अपने अधिकार को लागू करने से वंचित हो गई। आरोपी 1 से 6 तक ने अज्ञात बैंक अधिकारियों और लोक सेवकों के साथ साजिश रचकर भारत सरकार को धोखा दिया था।

6. जांच में आरोपी 1 से 6 के खिलाफ लगाए गए आरोप स्थापित नहीं हुए हैं। जांच के दौरान एक साथ एल.डब्ल्यू.1 से 170 तक के खिलाफ गवाहों के बयान और विवेचना दस्तावेजों डी1 से डी879 के आधार पर, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक दुराचार के अपराधों के लिए आरोपी 1 से 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

7. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार, एफ. आई. आर. में इस आशय के आरोप लगाए गए हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों ने भारत सरकार को गलत तरीके से लगभग 247.13 करोड़ नुकसान पहुंचाया है और

स्वयं के लिए संबंधित गलत लाभ प्राप्त करना, अभियोजन योग्य साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं है। इसलिए मामले को बंद करने की सिफारिश करने के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है।

8. ...इसलिए यह न्यायालय मामले को बंद करने की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त और संतुष्ट है।

9. ...अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य के अभाव में एफ. आई. आर. को बंद करने के लिए प्रस्तुत कारण स्वीकार्य हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कुर्क की गई संपत्ति सहित अपराध की आय के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर बंद कर दी गई है।

16. आई. टी. विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सी. बी. आई. द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज की गई जिसे बंद कर दिया गया था, ईडी निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 3, 4 और 8(5) के तहत ईसीआईआर/सीईजेडओ/19/2016 दर्ज किया। उक्त एफआईआर के बाद, उप निदेशक (ईडी) ने 1.6.2017 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया। कुर्की की पुष्टि के लिए, विभाग द्वारा 2017 का ओसी नंबर 785 दायर किया गया था, जिसे पीएमएलए की धारा 5 (5) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णायक प्राधिकरण ने खारिज कर दिया है। निर्णायक प्राधिकारी ने इस प्रकार कहा:

"यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 17.03.2017 को उक्त जमानत आदेश पारित होने के बाद से लगभग दो साल बीत चुके हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दो साल से अधिक समय बीत चुका है, हालांकि आज तक निर्धारित जांच कर रहे संबंधित जांच अधिकारी द्वारा कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। अपराध. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभी तक किसी भी बैंक या बैंक अधिकारी की पहचान नहीं की गई है, न तो अनुसूचित अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा या यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई द्वारा भी। किसी भी बैंक या बैंक अधिकारी की अनुपस्थिति की पहचान किए जाने के मद्देनजर, उप निदेशक के लिए किसी भी बैंक या बैंक अधिकारी की अनुपस्थिति और/या गैर–पहचान पर विचार करना आवश्यक था। अभिलेखपर कुछ भी प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं है कि कौन से बैंक और कौन से बैंक अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने अनधिकृत रूप से विमुद्रीकृत पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में परिवर्तित किया है। उप निदेशक द्वारा बनाई गई उचित धारणा से पता चलता है कि इस तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू कि ऐसा कोई बैंक या बैंक अधिकारी मौजूद नहीं है या पाया गया है, उप निदेशक द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार उचित विश्वास क्षीण हो गया है। अन्य बातों के साथ–साथ उप निदेशक द्वारा बनाई गई उचित धारणा यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने विभिन्न बैंकों के बैंक अधिकारियों के साथ साजिश रचकर अपने बेहिसाब धन को सफेद किया है, जिन्होंने उन्हें बेहिसाब धन को सफेद करने में मदद की। अभिलेखपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक भी बैंक का नाम बताता हो, विभिन्न बैंकों का तो क्या, जैसा कि उप निदेशक ने बताया है। इसी तरह, एक भी बैंक अधिकारी की पहचान या नाम नहीं बताया गया है और अभिलेखपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के किसी भी विवरण का खुलासा करता हो। परिणामस्वरूप, उचित विश्वास निराधार हो जाता है और उप निदेशक की अटकल मात्र है। इस तरह के विश्वास को उचित और कायम नहीं रखा जा सकता। किसी भी बैंक और बैंक अधिकारियों की गैर–पहचान

और/या अनुपलब्धता से संबंधित पहलू, संपूर्ण उचित विश्वास के गठन की जड़ तक जाता है। अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बैंक या बैंक अधिकारियों से संबंधित पहलू की जांच करने या जांच कराने का निर्देश देना चाहिए था। उपनिदेशक को इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर आगे बढ़ना चाहिए था, जो नहीं किया गया। ऐसी बुनियादी सामग्री के अभाव में उप निदेशक द्वारा विशेष रूप से उचित विश्वास बनाने वाला उचित विश्वास यह है कि अभियुक्तों ने विभिन्न बैंकों के बैंक अधिकारियों के साथ साजिश रचकर अपने बेहिसाब धन को वैध बनाया, जिन्होंने उन्हें बेहिसाब धन को वैध बनाने में मदद की, कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता है।

इसके विश्लेषण पर उप निदेशक के उचित विश्वास से संकेत मिलता है कि उप निदेशक ने अस्थायी संलग्नक आदेश के पैरा 21,26 और 27 में बताए गए उचित विश्वास पर विचार किया है, केवल जब्त की गई रुपये की राशि के एक हिस्से के संबंध में रु.334792000/, यह निर्दिष्ट किए बिना कि चल संपत्तियों के रूप में अनुसूचित अपराधों से संबंधित, किस मात्रा में और 334792000 रुपये की जब्त राशि का कौन सा हिस्सा है।

केवल जब्त की गई राशि के एक हिस्से के लिए उचित विश्वास का गठन और फिर भी पूरी जब्त राशि को कुर्क करने की कार्यवाही करना पूरे उचित विश्वास को विकृत करता है और इसे अवैध बना देता है। उचित विश्वास से यह पता चलता है कि उप निदेशक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया।

उप निदेशक द्वारा बनाई गई उचित धारणा है कि आयकर अधिकारियों द्वारा जब्त की गई नई मुद्रा, पुराने मुद्रा नोटों (विमुद्रीकृत मुद्रा) के बदले में प्राप्त मुद्रा के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें एस/ श्री जे. सेकर रेड्डी, एम. प्रेमकुमार, एस. श्रीनिवासलु, एस. रामचन्द्रन और के. रेथिनम, द्वारा प्राप्त ऐसे विनिमय के लिए कमीशन भी शामिल है जो न तो किसी निर्दिष्ट सामग्री पर आधारित है और न ही उचित है।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस संबंध में उप निदेशक द्वारा बनाए गए उचित विश्वास को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी विशेष सामग्री पर आधारित नहीं है और यह केवल अनुमान, अनुमान और अटकलें हैं।

ओ. सी. की सामग्री, प्रतिवादियों के लिखित उत्तरों/अतिरिक्त लिखित उत्तरों/प्रस्तुतियों और उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि पी. ए. ओ. सं. 14/2017 दिनांक 12.06.2017, यानी 49,480 किलोग्राम सोने के मूल्य. रु. 13,96,88,246 पी. ए. ओ. के पैरा 22 में उल्लिखित (इस आदेश का पैरा 1) धन शोधन में शामिल नहीं है। ''

17. तथ्यों के उक्त अनुक्रम में, राधेश्याम केजरीवाल निर्णय (उपरोक्त) द्वारा उभरी कानूनी स्थिति प्रासंगिक है जिसमें इससे संबंधित विभिन्न अन्य निर्णयों के अनुपात को समाप्त कर दिया गया है इसमें शामिल मुद्दे से संबंधित है और इस प्रकार देखा गया है:

"12 विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने पैरा 38 में उन निर्णयों का अनुपात इस प्रकार निकाला: (राधेश्याम केजरीवाल मामला)

38. इन निर्णयों से जो अनुपात निकाला जा सकता है उसे मोटे तौर पर इस प्रकार बताया जा सकता है:
(i) न्यायनिर्णयन कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन एक साथ चलाया जा सकता है; (ii) आपराधिक अभियोजन शुरू करने से पहले न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में निर्णय आवश्यक नहीं है;
(iii) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ और आपराधिक कार्यवाहियाँ एक दूसरे के लिए प्रकृति में स्वतंत्र है;
(iv) न्यायनिर्णयन कार्यवाही में अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध निष्कर्ष आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं है;
(v) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निर्णय कार्यवाही एक सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजन नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 20(2) या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के प्रावधानों को आकर्षित करे;
(vi) समान उल्लंघन के लिए मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति के पक्ष में न्यायनिर्णयन कार्यवाही में निष्कर्ष आएगा वो खोज की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर है न कि योग्यता के आधार पर, तो अभियोजन जारी रह सकता है;
(vii) हालाँकि, दोषमुक्ति के मामले में, योग्यता के आधार पर जहां आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं पाया जाता है और व्यक्ति को निर्दोष ठहराया जाता है, उसी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक मुकदमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, आपराधिक मामलों में सबूत अंतर्निहित सिद्धांत उच्च मानक है।"

13. आख़िरकार इसका निष्कर्ष निकला: (राधेश्याम केजरीवाल मामला)

"39. इसलिए, हमारी राय में, मानदंड यह तय करना होगा कि क्या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के साथ–साथ अभियोजन की कार्यवाही में आरोप समान हैं और न्यायनिर्णयन कार्यवाही में संबंधित व्यक्ति का दोषमुक्ति गुण–दोष के आधार पर है। यदि योग्यता के आधार पर यह पाया जाता है कि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति का मुकदमा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. हमारे दृष्टिकोण से, पैरा 38(vii) महत्वपूर्ण है और यदि उच्च न्यायालय ने इस मापदंड को लागू करने की जहमत उठाई है, तो उन्हीं तथ्यों पर सीवीसी रिपोर्ट को पढ़ने पर अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।"

आशु सुरेंद्रनाथ तिवारी (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने राधेश्याम केजरीवाल (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया और अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हीं तथ्यों में आपराधिक मामले में सजा की धूमिल संभावना दिखाई देती थी।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसका विश्लेषण करने पर आई. टी. विभाग की रिपोर्ट और आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए.0040 में अंतिम समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सी. बी. आई. द्वारा दिया गया तर्क और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, यह स्पष्ट है कि अपराध की आय के लिए, जैसा कि पी. एम. एल. ए. की धारा 2(1)(प) के तहत परिभाषित किया गया है, जब्त की गई संपत्ति प्रासंगिक होगी और वसूली के साथ इसका कब्जा और दावा निर्दोष होना चाहिए। वर्तमान मामले में, साक्ष्य की कमी के कारण अनुसूची अपराध नहीं बनाया गया है। पी. एम. एल. ए. के तहत कुर्की के आदेश को जारी रखने से इनकार करने के समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की राय थी कि बैंकों और उसके अधिकारियों के बारे में अभिलेखजो शामिल हो सकते हैं, अभिलेखमें नहीं है। इसलिए, एकत्र किए गए धन के स्रोत की पहचान की कमी के कारण, उप

निदेशक (ईडी) द्वारा यह उचित रूप से विश्वास नहीं किया जा सका कि बेनामी धन पीएमएलए के तहत अपराध करने से जुड़ा है। इसके साथ ही, आई. टी. विभाग का दिनांकित 16.5.2019 का पत्र और जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जब्त की गई मुद्रा के लिए कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, इसलिए, यह मात्रा न अर्जित किया और नहीं धन शोधन के लिए उपयोग किया। हमारी राय में, यहां तक कि पी. एम. एल. ए. के मामलों में भी, न्यायालय संभावनाओं के प्रमुखता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है। पी. एम. एल. ए. में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कारणों के बयान के अवलोकन पर, यह धन शोधन की जांच के लिए संसद द्वारा लाया गया कठोर कानून है। अतः आरोप को न्यायालय में उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह आरोप और उसके समर्थन में एकत्र की गई सामग्री की जांच करे और यह पता लगाए कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनाया गया है। जब तक कि अधिकारियों द्वारा आरोपों की पुष्टि नहीं की जाती है और न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाता है, तब तक व्यक्ति निर्दोष है। उक्त पृष्ठभूमि में, अनुच्छेद 38(vi) और (vii) में ***राधेश्याम केजरीवाल*** (उपरोक्त) के निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों में उपयुक्त रूप से लागू होता है।

19. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, अनुसूची की समापन रिपोर्ट की स्वीकृति के एक विस्तृत आदेश से यह स्पष्ट है आर. सी. एम. ए. 1 2016 ए0040 में अपराध और उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध की दो प्राथमिकियों को रद्द करना और आई. टी. विभाग के दिनांकित पत्र और दिनांकित आदेश में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को भी रद्द करना, ईसीआर सी. ई. जेड. ओ. 19/2016 में अपराध के जारी रहने का सबूत पर्याप्त नहीं है। विभाग स्वयं किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को एकत्र करने में असमर्थ है और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए साढ़े पांच साल के अंतराल के बाद भी इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से, वे स्वयं प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हैं कि पीएमएलए के तहत अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जा सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील के लंबित रहने के संबंध में विद्वान ए. एस. जी. द्वारा दिया गया तर्क भी कोई मददगार नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ भी उपाय उपलब्ध हैं। इस प्रकार, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और **राधेश्याम केजरीवाल** (ऊपर) और सुरेंद्रनाथ आशू तिवारी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों के अनुपात को देखते हुए, न्यायालय में पीएमएलए के प्रावधानों के उद्देश्य से भी आरोपों को साबित करने का मौका धूमिल है। इसलिए, हमारी दृढ़ राय है कि न्यायालय में उन आरोपों को साबित करने की संभावना बहुत कम है। यह कहना तुच्छ है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक अपीलकर्ता निर्दोष होगा। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा आई. टी. विभाग के पत्र और अन्य सामग्री पर उचित विचार किए बिना निष्कर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में दर्ज किया है। इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

20. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द करते हैं। परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। 2017 की शिकायत संख्या 2 सहित ईसीआर सीईजेडओ 19/2016 को रद्द किया जाता है।

निधि जैन
एलसीआरए)

अपील स्वीकार की गई। (सहायक: शाश्वत जैन,

अनुवाद किया गया– स्वयम श्रीवास्तव, मुंसिफ–III, पटना।